

राजस्थान, सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(32)नविवि / N.T.P. / 2015

जयपुर, दिनांक :- 4 ६ 11/11/15

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के स्थान पर नई टाउनशिप पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने बाबत निम्नानुसार एक कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री सी.एस. पारासर, अति. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपायुक्त जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. श्री आर.के.पारिक, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास विभाग।

उक्त कमेटी टाउनशिप पॉलिसी, 2010 समस्त विद्यमान प्रावधानों का परीक्षण एवं अन्य राज्यों में लागू टाउनशिप पॉलिसी का अध्ययन कर प्रारूप तैयार करेगी। तैयार किये गये प्रारूप पर संबंधित स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर नई टाउनशिप पॉलिसी का प्रारूप तीन माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. श्री सी.एस. पारासर, अति. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
6. उपायुक्त जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. श्री आर.के. पारिक, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास विभाग, कार्यालय नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय